

# कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

## (जिला राजस्व शाखा)

### अल्पकालीन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 के लिए खगड़िया जिला अन्तर्गत विभिन्न अंचलों के अक्टूबर सिरिज के निम्नांकित सैरातों की बन्दोबस्ती पूर्व निर्धारित तिथि पर अपरिहार्य कारणवश नहीं हो सकने के कारण पुनः बन्दोबस्ती हेतु तिथि संसूचित की जाती है। जिसमें नियमानुसार नाव यातायात सहयोग समिति/स्वावलंबी सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जायेगी। समिति के द्वारा इंकार करने पर खुली डाक से उच्चतम डाक वक्ता के साथ बन्दोबस्ती की जायेगी।


### स्तम्भ - "क"

क्र० सं०	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिभूति राशि (सुरक्षित जमा का 10%)	बन्दोबस्ती की तिथि अनुवर्ती तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6
1	खगड़िया	गंडक नदी ओलापुर	1,61,000.00	16,100.00	तिथि:- 10 / 10 / 2017 अनुवर्ती तिथि:- 11 / 10 / 2017 12 / 10 / 2017 समय :- 3:00 बजे अपराह्न
2	खगड़िया	तिरासी घाट तेतारा वाद	63,250.00	6,325.00	
3	अलौली	गड़ैया घाट	64,958.00	6,496.00	
4	गोगरी	कमरी घाट	1,15,000.00	11,500.00	
5	अलौली	खोनमा घाट	75000.00	7,500.00	
6	अलौली	चातर घाट किल्ल गड़ाई	15,09,468.00	1,50,947.00	
7	अलौली	फूलतौड़ा घाट किल्ल गड़ाई	1,82,505.00	18,251.00	
8	अलौली	खुटहा उदन घरारी किल्ल गड़ाई	4,45,617.00	44,562.00	
9	अलौली	घुरन डेरा किल्ल गड़ाई	50,950.00	5,095.00	

स्तम्भ "क" में वर्णित सैरातों की बन्दोबस्ती समाहर्ता, खगड़िया, द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में की जायेगी।


### शर्तें

- बन्दोबस्ती के पूर्व बन्दोबस्ती में भाग लेने के लिए डाकवक्ता को संबंधित कार्यालय के नजारत में सुरक्षित जमा का 10 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि विवरणी के अनुसार जमा करना होगा। बन्दोबस्ती में असफल डाकवक्ता को बन्दोबस्ती के बाद प्रतिभूति राशि वापस कर दी जायेगी।
- बन्दोबस्ती में वैसे व्यक्ति/संस्था ही भाग ले सकते हैं जो पूर्व के बकाएदार नहीं होंगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आवेदक को उपलब्ध कराना होगा। इच्छुक व्यक्ति मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड एवं संबंधित पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से अपने आचरण एवं पूर्ववृत्त के संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे जिनका आचरण स्वच्छ नहीं होगा उन्हें बन्दोबस्ती में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
- सफल आवेदक को बन्दोबस्ती राशि का प्रथम किस्त के रूप में बन्दोबस्ती राशि का पचास प्रतिशत तुरंत जमा करना होगा तथा शेष राशि बन्दोबस्ती अवधि के छः माह के अन्दर जमा करना होगा।
- सफल बन्दोबस्तीदार को नियमानुसार एकरारनामा/मुद्रांक शुल्क जमा करना होगा/अनुपालन नहीं करने की स्थिति में प्रस्तावित बन्दोबस्ती रद्द कर दी जायेगी।
- स्तम्भ 6 से 9 तक अंकित सैरातों की बन्दोबस्ती की राशि आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के आदेश से प्रभावित होगी।
- किसी भी परिस्थिति में बन्दोबस्ती की राशि में किसी प्रकार की माफी या छूट नहीं दी जायेगी।
- बन्दोबस्ती रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

  
समाहर्ता,  
खगड़िया।

ज्ञापांक-...../रा०, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
समाहर्ता,  
खगड़िया।

ज्ञापांक...../रा0, दिनांक :-  
प्रतिलिपि:- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित।

२०  
समाहर्ता,  
खगड़िया

ज्ञापांक-...../रा0, दिनांक :-  
प्रतिलिपि:- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार पटना को सी0डी0 के साथ 5 प्रति में सूचनार्थ प्रेषित।  
उनसे आग्रह है कि इस अल्प कालीन निविदा सूचना का प्रकाशन कम से कम दो हिन्दी दैनिक सामाचार पत्रों मे निश्चित रूप से दिनांक 03.10.2017 के पूर्व प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

२०  
समाहर्ता,  
खगड़िया।

ज्ञापांक-...../रा0, दिनांक :-  
प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं अन्य माध्यम से वन्दोवस्ती संबंधी अल्प कालीन निविदा सूचना का व्यापक प्रचार - प्रसार करेंगे।

२०  
समाहर्ता,  
खगड़िया।

ज्ञापांक-...../रा0, दिनांक :-  
प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खगड़िया/गोगरी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०  
समाहर्ता,  
खगड़िया।

ज्ञापांक-...../रा0, दिनांक  
प्रतिलिपि:- वरीय उप समाहर्ता, जिला नजारत शाखा, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०  
समाहर्ता,  
खगड़िया।

ज्ञापांक-...../रा0, दिनांक :- २५-०९-२०१७  
प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश है कि उपरोक्त सैरात संबंधी विज्ञापन जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

समाहर्ता,  
खगड़िया।